<u>न्यायालय–प्रधान जिला न्यायाधीश, ग्वालियर म.प्र.</u>
एम.जे.सी. क्रमांक 378/2023 (सिविल)

राजेश धमेचा पुत्र ताराचंद आयु 55 वर्ष,
व्यवसाय–व्यापार, व्यवसायिक पता रॉक्सी
टॉकीज रोड, लश्कर ग्वालियर म0प्र0 .....**<u>आवेदक</u>**

बनाम

जयेन्द्र अवाड़ पुत्र स्व0 सरदार श्री संभाजी
राव अवाड़ पता–अवाड़ साह का बाड़ा रॉक्सी
टॉकीज रोड, लश्कर ग्वालियर म0प्र0 .....**<u>अनावेदक</u>**

(प्रतिलिपि आदेश दिनांक 28.08.2023)

28.08.2023 आवेदक/प्रतिवादी द्वारा श्री व्ही0 पी0 एस0 तोमर अधिवक्ता।

अनावेदक/वादी द्वारा श्री जयंत शितोले अधिवक्ता।

श्री तोमर अधिवक्ता ने आवेदक/प्रतिवादी की ओर से अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया, संलग्न किया जावे।

अनावेदक/वादी की ओर से शपथ–पत्र के साथ आवेदन का जवाब प्रस्तुत किया, प्रतिलिपि प्रदाय की गई।

दशम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर के न्यायालय से सिविल प्रकरण क्रमांक 112ए/2013 का अभिलेख प्राप्त।

उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

प्रश्नाधीन आवेदन के माध्यम से आवेदक/प्रतिवादी ने निवेदन किया है कि अनावेदक/वादी ने उसके विरूद्ध एक निष्कासन हेतु वाद प्रस्तुत किया है जो दशम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर के न्यायालय में लंबित है। अनावेदक ने एक अन्य किरायेदार सन्नी गाबरा के विरूद्ध भी निष्कासन हेतु सिविल वाद प्रस्तुत किया था, जिसका दशम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर द्वारा दिनांक–29.10.2022 को निराकरण किया गया है और दशम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर ने अनावेदक/वादी की आवश्यकता को मानकर निष्कासन की आज्ञप्ति पारित की है। ऐसी स्थिति में दशम सिविल जज वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर अपने निर्णय के विपरीत निष्कर्ष देने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिये आवेदक/प्रतिवादी के विरूद्ध लंबित सिविल वाद क्रमांक 112ए/2013 गुण–दोषों पर निराकरण हेतु अन्य न्यायालय को

अंतरित किया जाए।

अनावेदक/वादी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रकट किया कि आवेदक/प्रतिवादी ने केवल पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये और वह जान–बूझकर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर रहा है। अतः आवेदन निरस्त किया जाए।

सिविल वाद क्रमांक 112ए/2013 का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त सिविल वाद वर्ष 2013 से लंबित है। दिनांक–04.10.2017 को प्रकरण में वादी साक्ष्य अभिलिखित की जा चुकी है। तत्पश्चात प्रकरण आवेदक/प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु नियत हुआ। अभिलेख से प्रकट होता है कि आवेदक/प्रतिवादी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किये गये और साक्ष्य हेतु अनेक तिथि प्राप्त की गई हैं। इस प्रकार यह दर्शित होता है कि आवेदक/प्रतिवादी ने मामले के विचारण में लगातार बाधा उत्पन्न की है।

जहॉ तक अनावेदक/वादी द्वारा प्रस्तुत अन्य निष्कासन के वाद में आवश्यकता के आधार पर जयपत्र पारित किये जाने का प्रश्न है ? वहॉ तक उक्त आधार मामले के अंतरण हेतु उपयुक्त नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मामले का निराकरण उसमें अभिलिखित की गई साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। आवेदक/प्रतिवादी ने महज आशंका के आधार पर सिविल मामले के अंतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, जो उचित नहीं है।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड विरूद्ध श्रीमती बलवीर कौर 2001 भाग–1 मध्यप्रदेश वीकली नोट–35 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिधारित किया है कि युक्तियुक्त आशंका के आधार पर ही सिविल मामले का अंतरण किया जा सकता है, संदेह मात्र अंतरण का आधार निर्मित नहीं करता है। हस्तगत मामले में आवेदक/प्रतिवादी ने केवल संदेह के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदक/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन से सिविल मामले के अंतरण हेतु कोई आधार निर्मित नहीं होता है। आवेदन महज विलंबता कारित करने के लिये प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है।

अतः आवेदक/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 24 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का सारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

आवेदन का व्यय उभयपक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

आदेश की प्रति के साथ अभिलेख संबंधित न्यायालय को वापस भेजा जावे।

परिणाम दर्ज कर अभिलेख, अभिलेखागार में जमा किया जावे।

PADAM CHAND GUPTA

Digitally signed by PADAM CHAND GUPTA
Date: 2023.08.28 15:22:56 +0530

(पी0सी0 गुप्ता)
प्रधान जिला न्यायाधीश
जिला ग्वालियर म.प्र.